रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2552] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2015/अग्रहायण 10, 1937
No. 2552] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 2015/AGRAHAYANA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2015

का.आ. 3233(अ).– निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

और लिप्पा-असरंग वन्यजीव अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश राज्य के जिला किन्नौर, संगला वन्यजीव पर्वतीय श्रेणी में 31°40′15′′ से 31°44′18′′ उत्तरी अक्षांश और 78°13′ और 78°18′ पूर्वी देशांतर के बीच में अवस्थित है और 31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है ।

और अभयारण्य में उपलब्ध प्रमुख प्रजातियां आईबैक्स, ब्लू शीप, स्नो लेपड और राम चोकर और वनस्पतियों में अल्पाईन श्रब और जूनिपर श्रब हैं ।

और इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना है तथा जिसकी सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से लिप्पा-असरंग वन्यजीव अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और उक्त पारिस्थितिक जोन में उद्योग या उद्योगों के वर्गों को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लिप्पा-असरंग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा या है) के रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य में लिप्पा-असरंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 14 किलोमीटर तक की सीमा के क्षेत्र के विस्तार को अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार लिप्पा-असरंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से उत्तर-पूर्वी (जो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क के साथ), उत्तरी और उत्तरी-पश्चिमी पर 14 किलोमीटर तक फैला हुआ है । पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार वन्यजीव अभयारण्य के पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिणी-पश्चिमी पर शून्य किलोमीटर तक है । पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 254 वर्ग किलोमीटर है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन उत्तर की ओर (मानचित्र में निर्देश बिन्दु ई.9 है) 78° 7.695' पू. और अक्षांश 31°52.117' उ., पश्चिम की ओर (मानचित्र में निर्देश बिन्दू ई.4 है) देशांतर 78°6.013' पू. और अक्षांश 31°42.410' उ., देशांतर 78°5.545' पू. के दक्षिणी सीमा बिन्दु पर और पूर्व की ओर (मानचित्र में निर्देश बिन्दु ई13 है) और अक्षांश 31°49.856' उ. (मानचित्र में निर्देश बिन्दु ई.7 है) 78°19.124' पू. देशांतर और 31°46.420' उ. अक्षांश से घिरा हुआ है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भूमंडलीय स्थिति प्रणाली (जीपीएस) बिन्दु **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत कोई ग्राम नहीं है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना - (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(ix) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(x) सिंचाई ; और

(xi) लोक निर्माण विभाग

इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए होंगे।

(5) महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

(9) हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के लिए पृथक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 33, 35, 37, और 41 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टैंट, लकड़ी के मकान आदि ।

(iii) वर्षा जल संचय, और

(iv) कुटीर उद्योगों में ग्राम उद्योग, भंडारण की सुविधा और स्थानीय सुख-सुविधाएं सम्मिलित हैं :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना को सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्र के लिए हानिकारक हैं ।

(3) **पर्यटन -** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, आंचलिक महायोजना का भाग रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय लिप्पा-असरंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

परंतु संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी संरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** — परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और प्रवृत्त नियमों और इसके अध्यधीन बनाए गए विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाइयां** -

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों का स्थापन्न विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग के सिवाय अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनी प्रदूषण के कोई नए उद्योग का स्थापन्न अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
1	2	3
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए

		मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	नए बृहत जल विद्युत परियोजना और सिचाईं परियोजना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान, गर्म वायु गुबारों का राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के ऊपर से उड़ना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(10)	यांत्रिक साधनों द्वारा मत्स्य ग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
(11)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी; (ख) वृक्षों की कटाई केन्द्रीय या राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए अधिनियमों के उपबंधों या इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में विनियमित होगी;
(12)	होटलों और रिसोर्टों का स्थापन ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे । तथापि, पारिस्थितिक संवेदी जोन के एक किलोमीटर से परे और उसकी सीमा तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्ग-निर्देशों के अनुरूप होंगे ।

(13)	कृषि प्रणाली में प्रबल बदलाव	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
(14)	प्राकृतिक जलस्रोतों का वाणिज्यिक उपयोग जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषिक और घरेलू खपत के लिए भू-जल निष्कर्षण को अनुज्ञात किया जाएगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए भू-जल का निष्कर्षण जिसके लिए ऐसी मात्र जिसका निष्कर्षण किया जा सकेगा राज्य भू-जल बोर्ड और ऐसे बोर्ड के अभाव में इस पर नियंत्रण रखने वाले राज्य विभाग और मानीटरिंग समिति से पूर्व लिखित अनुज्ञा की अपेक्षा होगी । (ग) मानीटरिंग समिति के पूर्व अनुमोदन के सिवाय सतही जल या भू-जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन अन्यथा अभयारण्य और वन क्षेत्र के भीतर विद्यमान सुविधा से जल का संरक्षण और इसका वितरण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के उपबंध के अनुसरण में विनियमित होगा । (ङ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(15)	विद्युत केबलों का परिनिर्माण।	सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना।
(16)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(17)	दुकानदारों द्वारा पोलिथीन के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(18)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(19)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(20)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	विद्यमान महायोजना के अनुसार या सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से।
(22)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	आंचलिक महायोजन के अनुसार विनियमित होंगे ।
(23)	घरेलू उपयोग के लिए घरेलू पत्थर अपघर्षण इकाई की स्थापना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	जल ढुलाई	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	मत्स्य ग्रहण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	कूड़ा-करकट पाटना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	प्रवासी पशुओं को चराना या घास उगाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(28)	काष्ठ वितरण (टीडी) अधिकार	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(29)	नाउटूर भूमि का अनुदान	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(30)	सीवरेज लाइन का संनिर्माण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(31)	रस्सी मार्ग का संस्थापन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(32)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) किसी किस्म का कोई नया संनिर्माण अभयारण्य की सीमा

		से 1 किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा । परंतु स्थानीय व्यक्ति पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने आवासीय उपयोग हेतु अपनी भूमि में संनिर्माण किए जाने के लिए अनुज्ञात होंगे । (ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के एक किलोमाटर परे उसकी सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अनुज्ञात होंगे तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
(33)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
(34)	वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.एफ.पी.) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(35)	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप के संबंध में पर्यटकों के अस्थाई अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टैंट, लकड़ी के मकान आदि ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
ग. उन्नत क्रियाकिलाप :		
(36)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, डेयरी उद्योग, एक्वाकल्चर और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(37)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(38)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(39)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(40)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(41)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - (1) केंद्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य में आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क) पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का सुविख्यात व्यक्ति, विशेषज्ञ जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा - अध्यक्ष

(ख) खंड वन अधिकारी (प्रदेश) - सदस्य

(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि – सदस्य

(घ) गैर सरकारी संघठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य

(ङ) हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य

(च) हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि - सदस्य

(ज) उपखंड मजिस्ट्रेट पुछ या उसका प्रतिनिधि - सदस्य

(झ) खंड वन अधिकारी (वन्यजीव) - सदस्य सचिव

निर्देश निबंधन

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का अध्यक्ष या संयोजक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/62/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

लिप्पा-असरंग वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश की पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र

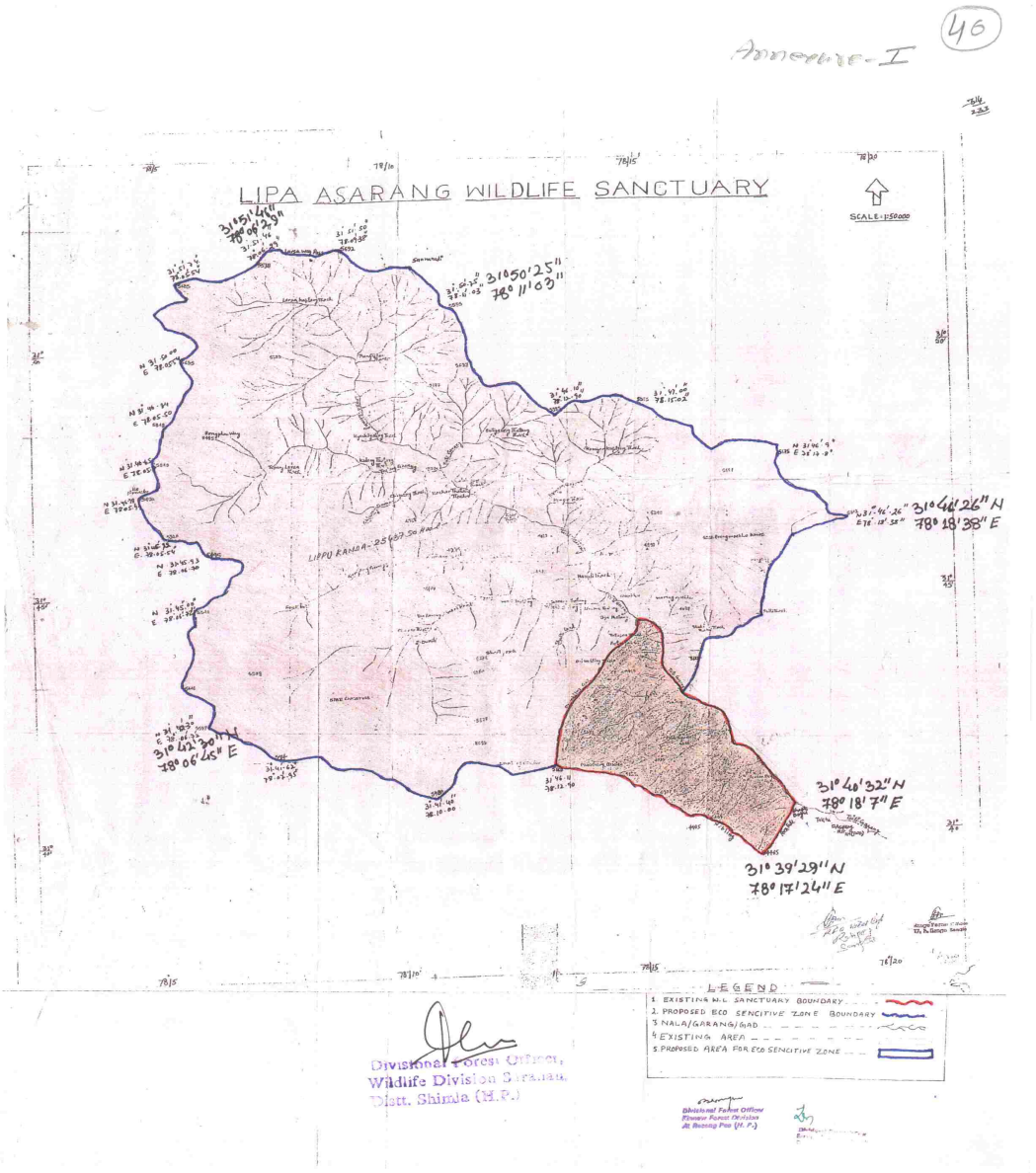

उपाबंध II

लिप्पा-असरंग वन्यजीव अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश की पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ बिन्दुओं का भूमंडलीय स्थिति प्रणाली (जीपीएस)

क्र.सं.	जीपीएस	देशांतर	अक्षांश
1	ई 01	78º 12.267′ पू	31º 41.279′ उ
2	ई 02	78º 10.622′ पू	31º 40.811′ उ
3	ई 03	78º 8.188′ पू	31º 41.738′ उ
4	ई 04	78º 6.013′ पू	31º 42.410′ उ
5	ई 05	78º 6.790′ पू	31º 45.634′ उ
6	ई 06	78º 4.604′ पू	31º 47.089′ उ
7	ई 07	78º 5.545′ पू	31º 49.856′ उ
8	ई 08	78º 5.471′ पू	31º 51.426′ उ
9	ई 09	78º 7.695′ पू	31º 52.117′ उ
10	ई 10	78º 10.421′ पू	31º51.680′ उ
11	ई 11	78º 12.529′ पू	31º 49.312′ उ
12	ई 12	78º 16.182′ पू	31º 48.293′ उ
13	ई 13	78º 19.124′ पू	31º 46.420′ उ
14	ई 14	78º 17.254′ पू	31º 44.280′ उ

उपाबंध III

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान : पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति -

1. बैठकों की संख्या और तारीख
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोन वार)

   ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश ।
6. ईआईए के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश।

   ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2015

S.O. 3233(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2), of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification should be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may do so in writing for consideration of the Central Government within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Lippa-Asarang Wildlife Sanctuary lies between 31º40' 15" to 31º44′18" North Latitude and 78º13′ and 78º18′ East Longitude in Sangla wildlife range, the Kinnaur District of Himachal Pradesh and spread in an area of 31 square kilometer;

AND WHEREAS, the prominent species available in Sanctuary includes, Ibex, blue sheep, Snow-Leopard, and Ram chokar and vegetation is represented by the alpine shrubs and juniper bushes;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area Lippa-Asarang Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW. THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub- section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto 14 kilometers from the boundary of the Lippa-Asarang Wildlife Sanctuary, in the State of Himachal Pradesh as the Lippa-Asarang Eco-sensitive zone (hereinafter referred as to the Eco-sensitive zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone- (1) The extent of Eco-sensitive zone is varies upto 14 kilometers on north-east (coincides with Pin Vallley National Park), north and north-west from the boundary of Lippa-Asarang Wildlife Sanctuary. The extent of Eco-sensitive Zone is zero kilometer on east, south and south- west side of the Wildlife Sanctuary. The area of Eco-sensitive Zone is 254 square kilometres.

(2) The Eco-sensitive Zone is bounded by 78° 7.695' E and latitude 31°52.117'N towards north (reference point in map is E09), longitude 78°6.013' E and latitude 31°42.410'N towards west (reference point in map is E04), southern boundary point at longitude 78°5.545' E and latitude 31°49.856'N (reference point in map is E07) 78°19.124' E longitude and 31°46.420' N latitude towards east (reference point on map is E13).

(3) The map of Eco-sensitive Zone along is appended as **Annexure I**

(4) The Global Positioning System (GPS) points of Eco sensitive zone is appended as **Annexure II**.

(5) No village falls within Eco-sensitive Zone.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(ix) Himachal Pradesh State Pollution Control Board;

(x) Irrigation; and

(xi) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The State Government of Himachal Pradesh shall prepare separate Zonal Master Plans for area under their jurisdiction.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use -** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 33, 35, 37, and 41 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Small scale industries not causing pollution,

(ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,

(iii) Rainwater harvesting, and

(iv) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forest and Environment of the Himachal Pradesh State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Lippa-Asarang Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Rajasthan State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Rajasthan State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under namely:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government and the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units**

(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited effect except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petitiion (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Discharge of effluents and solid waste in natural water bodies or terrestrial area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Air and vehicular pollution.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Fishing by mechanical means.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the enactments made by the Central Government or State Government and the rules made thereunder.
12.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansions of existing activities would in conformity with Zonal Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
13.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
14.	Commercial use of natural resources including groundwater harvesting.	(a) The extraction of ground water for the bonafide agricultural and domestic consumption of the occupier of land shall be permitted. (b) Extraction of ground water for industrial, commercial use shall require prior written permission, including the amount that can be

		extracted, from the State Ground Water Board, in absence of such Board, the state department having control over it, and the Monitoring Committee. (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted except with the prior approval of the Monitoring committee; (d) the conservation of water and its distribution from existing facilities within Eco-sensitive Zone, other than sanctuary and forest areas, shall be regulate in accordance to the provisions of the forest(conservation) Act, 1980(69 of 1980). (e) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
15.	Erection of electrical cables.	Promote underground cabling with the permission of the competent authority.
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
17.	Use of polythene bags by shopkeepers.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	As per existing master plan or with permission of competent authority.
22.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per Zonal Master plan.
23.	Establishment of domestic stone crushing unit for domestic use.	Regulated under applicable laws.
24.	Water transportation.	Regulated under applicable laws.
25.	Fishing.	Regulated under applicable laws.
26.	Muck dumping.	Regulated under applicable laws.
27.	Migratory grazing or grassing.	Regulated under applicable laws.
28.	Timber Distribution (TD) rights.	Regulated under applicable laws.
29.	Grant of nautor land.	Regulated under applicable laws.
30.	Construction of sewerage line.	Regulated under applicable laws.
31.	Installation of Rope Way.	Regulated under applicable laws.
32.	Construction activities.	(a) No new construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of sanctuary: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. (b) Beyond one kilometer upto the extent of the Eco-sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be regulated as per zonal master plan.
33.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
34.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
35.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activity		
36.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
37.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
38.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
39.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.
40.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
41.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.

5. Eco-sensitive Zone Monitoring Committee:- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Himachal Pradesh , which shall comprise of the following namely:-

(a) An eminent person, expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Himachal Pradesh - Chairman

(b) The Divisional Forest Officer (Territory) - Member

(c) Representative of the Ministry of Environment Forest and Climate change, Government of India - Member

(d) Representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Himachal Pradesh - Member

(e) Representative of the Department of Revenue, Government of Himachal Pradesh -Member

(f) Representative of the Himachal Pradesh Pollution Control Board -Member

(g) Sub–Divisional Magistrate Pooch or representative - Member

(h) The Divisional Forest Officer (Wildlife) - Member Secretary

Terms of Reference:

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Chairmen or the convener of the Monitoring Committee shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/62/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Lippa-Assrang Wildlife Sanctuary, Himachal Pradesh.

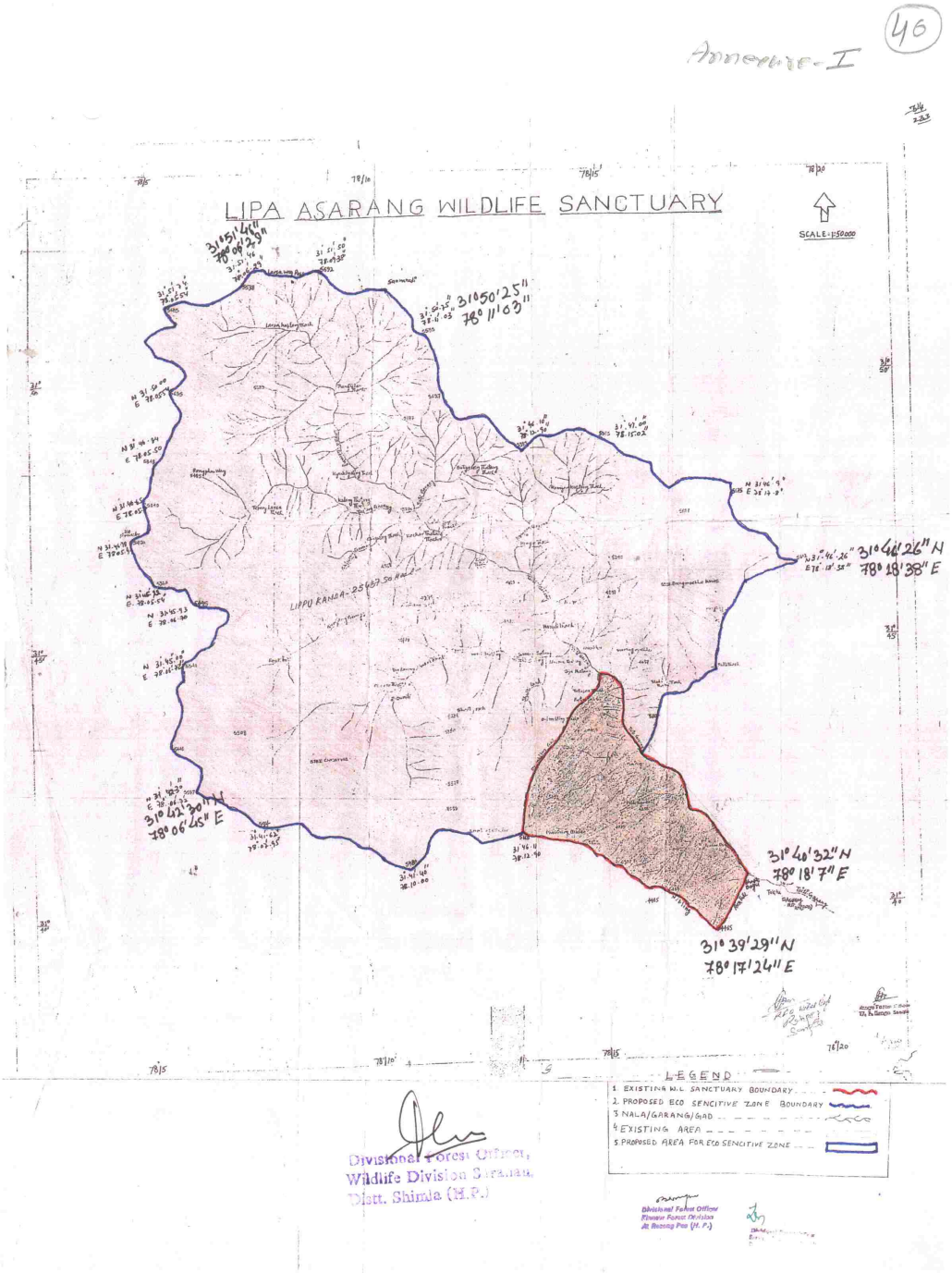

Annexure II

Global Positioning System (GPS) points along the boundary of Eco-sensitive Zone of Lippa-Asarang Wildlife Sanctuary, Himachal Pradesh.

S No.	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	78º 12.267' E	31º 41.279' N
2	E02	78º 10.622' E	31º 40.811' N
3	E03	78º 8.188' E	31º 41.738' N
4	E04	78º 6.013' E	31º 42.410' N
5	E05	78º 6.790' E	31º 45.634' N
6	E06	78º 4.604' E	31º 47.089' N
7	E07	78º 5.545' E	31º 49.856' N
8	E08	78º 5.471' E	31º 51.426' N
9	E09	78º 7.695' E	31º 52.117' N
10	E10	78º 10.421' E	31º51.680' N
11	E11	78º 12.529' E	31º 49.312' N
12	E12	78º 16.182' E	31º 48.293' N
13	E13	78º 19.124' E	31º 46.420' N
14	E14	78º 17.254' E	31º 44.280' N

Annexure III

Proforma of Action Taken Report: - Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).

   (Details may be attached as Annexure).
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.

   (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.